उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-82/2019/1167/92-2-2019-03टीएसी/17(टीसी-1)
लखनऊ :: दिनांक:: 06 जून 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गोरखपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये अति पिछडे अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक केन्दों के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 20-12-2018 व 15-02-2019 में परिलक्षित शासकीय क्षति एवं अन्य अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0के0 सिंह, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-82/2019/1167 (1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0 के पत्र सं0-जी-103/पीए-सीटीई/2806-120-158-118/06 /17-18 दि0 20-12-2018 व पत्र सं0-जी-125/पीए-सीटीई/2806-120-158-118/06-07 दि0 15-02-2019 की छायाप्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर शासन को 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-गोरखपुर

4- श्री एस0के0 सिंह, अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-गोरखपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in